डाक-व्यय की पूर्व अदायगी के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत. अनुमति-पत्र क्र. रायपुर

पंजी क्रमांक रायपुर डिवजीन

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]   रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 अप्रैल 2002—वैशाख 6, शक 1924

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2002

क्रमांक एफ 2-1/2002/1-8/स्था.—श्री वाय. के. एस. ठाकुर (भा. पु. से.) पुलिस उप महानिरीक्षक, सुरक्षा एवं गुप्तवार्ता, पुलिस मुख्यालय, रायपुर, जिनकी सेवाएं गृह विभाग द्वारा इस विभाग को सौंपी गई है, को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष सचिव छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग पदस्थ किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण कुमार, मुख्य सचिव.

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2002

क्रमांक 480/2002/1-8/स्था.—श्री आर. एम. वर्मा, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग को दिनांक 30-3-2002 से 30-4-2002 तक 32 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2002.

2. अवकाश से लौटने पर श्री वर्मा को आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री वर्मा को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री वर्मा यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2002

क्रमांक 484/2002/1-8/स्था.—श्री पी. सी. सूर्य, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 26-3-2002 से 4-4-2002 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री सूर्य को पुनः सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश काल में श्री सूर्य को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सूर्य यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 3 अप्रैल 2002

क्रमांक 486/2002/1-8/स्था.—श्री एम. के. साकी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, को दिनांक 12-3-2001 से 31-3-2001 तक 20 दिन तथा दिनांक 12-11-2001 से 29-11-2001 तक 18 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 1 एवं 2-4-2001 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश काल में श्री साकी को वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

3. प्रमाणित किया जाता है कि श्री साकी यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2002

क्रमांक 510/833/2002/1-8/स्था.—श्री एम. के. त्यागी (रा. प्र. से.) उप-सचिव, मुख्य सचिव को दिनांक 4-5-2002 से 13-5-2002 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एम. के स्थागी को पुनः उप सचिव, मुख्य सचिव पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री त्यागी को अवकाश वेतन व भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री एम. के. त्यागी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2002

क्रमांक 512/732/2002/1-8/स्था.—श्री जी. डी. गुप्ता, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग को दिनांक 26-3-2002 से 8-4-2002 तक 14 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री गुप्ता को पुनः अवर सचिव, महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण विभाग में पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में श्री गुप्ता को वेतन एवं भत्ते उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री गुप्ता यदि अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
स्टीफन खलखो, उप-सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 9 जनवरी 2002

क्रमांक डी. क्यू. 63/27/21-ब/छ.ग./2002.—राज्य शासन श्री निर्मल शुक्ल, उप-महाधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर को राज्य शासन एवं महाधिवक्ता के निर्देशानुसार शासन की ओर से पैरवी करने के लिए कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 28 फरवरी, 2002 तक की अवधि के लिए अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त करता है. उक्त अवधि में दोनों पक्ष एक माह का नोटिस देकर या संविदा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होंगे.

रायपुर, दिनांक 4 फरवरी 2002

क्रमांक 1082/डी-78/21-ब/छ. ग./2002—राज्य शासन द्वारा उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 226/11-2-17/2001, दिनांक 14-1-2002 के परिप्रेक्ष्य में श्रीमती अनुराधा खरे, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ रायपुर में उप-सचिव के पद पर अन्य आदेश तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता है.

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2002

क्रमांक डी/2432/21-अ (प्रारूपण)/छग/2002.—विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का सं. 39) की धारा-6 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर के माननीय मुख्य न्यायाधिपति की पूर्व सहमति से राज्य सरकार एतद्द्वारा एक प्राधिकरण इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा उसके द्वारा समनुदेशितकृत्यों का अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए गठित करती है, जो "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कहलाएगा"

Raipur, the 30th March 2002

No. D/2432/21-A (Drafting)/C.G./2002.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) the State Government with previous consent of Honourable Chief Justice of High Court, Bilaspur hereby, constitute an authority known as the "State Legal Services Authority" for the purpose to exercise the powers conferred by this Act and perform the functions as assigned to it.

रायपुर, दिनांक 16 अप्रैल 2002

क्रमांक 2818/डी-665/21-अ (स्था.)/छग.—राज्य शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक बी-1/3/2002/4/एक, दिनांक 12-4-2002 के अनुसरण में श्री अशोक कुमार तिवारी, डिप्टी कलेक्टर, बिलासपुर को महाधिवक्ता कार्यालय, बिलासपुर में अवर सचिव के पद पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. एस. जैन, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 जनवरी 2002

फा. क्र. 596/डी-2947/21-ब (छ. ग.).—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 20 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.

   (दो) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जायें. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द "मध्यप्रदेश" जहां कहीं भी आये हों, के स्थान पर शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कोई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्ररूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि, अधिनियम, 1982 (क्र. 9 सन् 1982)

Raipur, the 22nd January 2002

F. No. 596/D-2947/21-B (Chh.).—In exercise of the Powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000). the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (1) This Order may be called the Adaptation Order 2001.

   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the 1st day of November,2000

2. The Laws as amended from time to time, specified in the Schedule to this Order, which were in force in this State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in Laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rule, form, regulation, certificate or licence) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule shall continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Act. (2)
1.	The Madhya Pradesh Adhivakta Kalyan Nidhi Adhiniyam, 1982 (No. 9 of 1982).

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2002

क्रमांक 2024/664/21-ब/छ. ग.—भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (क्र. 49 सन् 1988) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी. 4821/2262/21-ब/छ. ग., दिनांक 19-9-2001 को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा, श्री सतीश कुमार सिंह, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायपुर को उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) तथा (ख) में विनिर्दिष्ट अपराधों के संबंध में दिल्ली, विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन किए गए मामलों के विचारण के लिए नीचे विनिर्दिष्ट राजस्व जिलों में समाविष्ट क्षेत्रों के लिए विशेष न्यायाधीश नियुक्त करती है, इसका मुख्यालय रायपुर होगा.

क्रमांक (1)	राजस्व जिले का नाम (2)
1.	रायपुर
2.	दुर्ग
3.	राजनांदगांव
4.	बिलासपुर
5.	अंबिकापुर (सरगुजा)
6.	बस्तर (जगदलपुर)
7.	कांकेर
8.	दंतेवाड़ा
9.	कवर्धा
10.	महासमुन्द
11.	कोरबा
12.	कोरिया
13.	धमतरी
14.	जांजगीर
15.	रायगढ़
16.	जशपुर

Raipur, the 18th March 2002

No. 2024/664/21-B/Chh.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988). in consultation with Hon'ble High Court of Chhattisgarh and in supersession of this Department Notification No. 4821/2262/21-B/Chh. dated 19th September. 2001 the State Government hereby appoints Shri Satish Kumar Singh, Additional District and Sessions Judge. Raipur as Special Judge with the headquarters at Raipur for the area comprising of the Revenue District specified below to try the cases in regards to the offences specified in column (a) and (b) of Sub-section (1) of Section 3 of the said Act investigated under Delhi Special Police Establishment Act, 1946 by the Delhi Police and Central Bureau of Investigation.

S. No. (1)	Name of Revenue District (2)
1.	Raipur
2.	Durg
3.	Rajnandgaon
4.	Bilaspur
5.	Ambikapur (Sarguja)
6.	Bastar (Jagdalpur)
7.	Kanker

(1)	(2)
8.	Dantewara
9.	Kawardha
10.	Mahasamund
11.	Korba
12.	Koria
13.	Dhamtari
14.	Janjgir
15.	Raigarh
16.	Jashpur

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आई. एस. उबोवेजा, उप-सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग, ग्रामोद्योग तथा सार्वजनिक उपक्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जनवरी 2002

क्रमांक 16-4-11-वा. उ./2001.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 28 सन् 2000) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलन आदेश, 2001 है.
   (2) यह 1 नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवृत्त होगा.

2. समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो इस आदेश की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है और जो छत्तीसगढ़ राज्य की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थी, एतद्द्वारा तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाये. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में शब्द ''मध्यप्रदेश'' जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर शब्द ''छत्तीसगढ़'' स्थापित किए जाएं.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कार्रवाई (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेंगी.

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	विधियों के नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश लघु और अनुषंगिक औद्योगिक उपक्रमों को विलंबित संदाय पर ब्याज नियम 1999.

Raipur, the 1st January 2002

No. 16-4-11-C & I/2001.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Reorganization Act, 2000 (No. 28 of 2000), the State Government hereby makes the following order, namely :—

1. (1) This order may be called the adaptation of Laws Order, 2001.
   (2) It shall come into force in the whole State of Chhattisgarh on the first day of November.2000.

2. The Laws as amended from time ot time specified in the Schedule to this order, which were in force in this State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, are hereby extended to and shall be in force in the State of Chhattisgarh until repealed or amended. Subject to the modification that in the laws for the words "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Anything done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, form, regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the laws specified in the Schedule continue to be in force in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Law (2)
1.	Madhya Pradesh, Interest on Delayed Payments to Small Scale & Ancillary Industrial Undertakings Rules. 1999.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. बेहार, संयुक्त सचिव.

परिवहन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2002

क्रमांक 66/परिवहन/2002.—राज्य शासन द्वारा राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण गठित किया जाने तथा विधि एवं विधायी विभाग के आदेश क्र. फ./ 3 (A)/4/2002/21-ब दिनांक 8-1-2002 द्वारा श्री एन. एस. राजपूत, जिला एवं सत्र न्यायाधीश बस्तर की सेवाएं परिवहन विभाग को सौंपने के फलस्वरूप श्री एन. एस. राजपूत, सदस्य उच्च न्यायिक सेवा को राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण छत्तीसगढ़ रायपुर का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. विजयवर्गीय, प्रमुख सचिव.

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान तथा प्रौद्योगिक विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 मार्च 2002

क्रमांक 908/उशि/2002.—समन्वय समिति की बैठक दिनांक 20-10-2001 में लिये गये निर्णय अनुसार राज्य शासन द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 15 ग में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ राज्य विश्वविद्यालय सेवा नियम 1983 के उपनियम 29 के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक स्थापित कर संशोधन करता है कि :—

कुल सचिव, ग्रन्थपाल एवं संचालक शारीरिक शिक्षा की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष होगी परन्तु यह प्रावधान तभी लागू होगा जबकि संबंधित विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी परिषद् में उक्तानुसार विश्वविद्यालय के परिनियम, अध्यादेश तथा नियमों में आवश्यक संशोधन कर लिया गया हो. प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु उनके मूल संवर्ग के अनुसार होगी.

यह आदेश वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 150/157/वि/नि/चार/02 दिनांक 11-3-2002 द्वारा महालेखाकार छत्तीसगढ़ रायपुर को पृष्ठांकित की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. आर. चौरे, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002

क्रमांक 360/193/श्रम, खेल/2002.—चूंकि लफार्ज इंडिया लि. सीमेन्ट प्लांट सोनाडिह ग्रा. पो.-रसेड़ा, तह. बलौदाबाजार जिला-रायपुर के सेवा नियुक्त जिनका प्रतिनिधित्व छ. ग. सीमेन्ट मजदूर एकता यूनियन सहायक कार्यालय ग्रा. पो. रसेड़ा तह. बलौदाबाजार जिला रायपुर द्वारा किया जा रहा है एवं सेवानियोजक कारखाना प्रबंधक लफार्ज इण्डिया लि. सीमेन्ट प्लांट सोनाडिह ग्राम पोस्ट रसेड़ा तह. बलौदाबाजार जिला रायपुर के मध्य औद्योगिक विवाद उत्पन्न हुआ है.

और चूंकि राज्य शासन को यह संतुष्टि हो चुकी है कि पक्षों के मध्य औद्योगिक विवाद विद्यमान है एवं इस विद्यमान औद्योगिक विवाद का औद्योगिक न्यायालय को पंच निर्णयार्थ संदर्भ किए जाने के अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से हल संभव नहीं है.

अतएव म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्र. 27 सन् 1960) की धारा 51 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा उक्त विवाद को अनुसूची में निर्दिष्ट विवरण में निहित विषयों के अनुसार औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ, रायपुर को पंच निर्णयार्थ संदर्भित करता है.

अनुसूची

(1) क्या यूनियन द्वारा प्रस्तुत मांग पत्र में उल्लेखित सभी ठेकेदारी मजदूरों को केन्टीन सुविधा, रात्रिभत्ता, धुल भत्ता, धुलाई भत्ता, मकान भत्ता, सायकल भत्ता एवं मोटर सायकल भत्ता दिये जाने का औचित्य है ? यदि हां तो किस अनुपात में एवं नियोजक को इस संबंध में क्या निर्देश दिये जाने चाहिए ?

(2) क्या निपनिया साईडिंग वाले सभी ठेकेदारी मजदूरों के सभी सुरक्षा उपकरण एवं कोयला, जिप्सन अनलोडिंग एवं मिलकर लेवलिंग करने वालों को 600 रु. प्रति बैगन डिब्बा दिए जाने का औचित्य है, यदि हां तो इस संबंध में नियोजक को क्या निर्देश दिये जाना चाहिए ?

रायपुर, दिनांक 12 फरवरी 2002

क्रमांक 360/193/श्रम,खेल/2002.—म. प्र. औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (क्रमांक 27 सन् 1960) की धारा 63 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि रायपुर के स्थानीय

समाधानकर्त्ता (कंसीलियेटल) को निर्दिष्ट छत्तीसगढ़ सीमेन्ट मजदूर एकता यूनियन सहायक कार्यालय ग्रा. पो. रसेडा तहसील बलौदाबाजार, जिला रायपुर एवं लफार्ज इण्डिया लि. सीमेन्ट प्लांट सोनडीह, ग्राम पोस्ट, रसेडा बलौदाबाजार, जिला रायपुर के मध्य विद्यमान औद्योगिक विवाद जो कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित है के संबंध में कोई समझौता नहीं हो सका.

अनुसूची

औद्योगिक विवाद क्रमांक 04/एम.पी.आई.आर./2001

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2002

क्रमांक 670/श्रम/2002.—चूंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 (1) में बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात् श्रम प्रतिषेध किया गया है और आगे प्रावधान है कि इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा, और

चूंकि संसद द्वारा बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 (अधि. क्रमांक 1976 का 19) पारित किया जाकर बंधक श्रम प्रथा को समाप्त किये जाने का प्रावधान किया गया है. जिससे कि कमजोर वर्ग के व्यक्ति को आर्थिक एवं शारीरिक शोषण से बचाया जा सकें, और

चूंकि बंधक श्रमिकों की पहचान के लिए पूर्व मध्यप्रदेश के छत्तीसगढ़ राज्य के संपूर्ण भाग में 1976 एवं इसके पश्चात् सर्वेक्षण कराये गये थे, और

चूंकि सर्वेक्षण में बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ के बंधक श्रमिक अन्य प्रदेशों में चिन्हांकित हुये थे जिन्हें बंधक से मुक्त कराया जाकर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में पुनर्वासित किया गया, और

चूंकि छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न भागों में अभी भी ऋण के कारण प्रथा के रूप में ऋणी अथवा उसका आश्रित ऋण देने वाले के यहां बगैर प्राप्त वेतन के या ऋण को चुकाने के एवज में बंधक के रूप में कार्य करता है या राज्य में अन्य किसी रूप में बंधक प्रथा विद्यमान है, और

चूंकि यह प्रथा मानव अधिकारों का हनन करती है और मानव श्रम के महत्व को निम्न स्तरीय बनाती है, और

चूंकि नये छत्तीसगढ़ राज्य के जनता के हितों की दृष्टि से संवैधानिक एवं वैधानिक दायित्वों के निर्वाह को गति दिया जाना आवश्यक है और इसके लिए बंधक श्रमिक की स्थिति के अपुनर्वलोकन के लिये कोई सुविधाजनक उपाय खोजा जाना आवश्यक है और बंधक श्रम (समाप्ति) अधिनियम, 1976 के प्रावधानों का प्रवर्तन अधिक सतर्कता से किया जाना जिससे कि यह कुप्रथा राज्य में नहीं पाई जाये तथा राज्य की जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति हो सकें.

अत: अब बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 की धारा 10 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल जिला मजिस्ट्रेट को निम्न कर्त्तव्य एवं अधिकार अधिनियम की धारा 11 एवं 12 में निर्धारित कर्त्तव्यों के साथ अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमों के प्रावधानों के प्रवर्तन हेतु दिये जाने का आदेश देते हैं.

1. छत्तीसगढ़ राज्य में किसी भी रूप में चल रहे बंधक श्रम प्रथा को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट बंधक श्रमिकों की पहचान के लिए निर्धारित समयावधि के सर्वेक्षण की व्यवस्था करेंगे तथा इस पहचान के कार्य के लिए किसी एजेंसी की जिसे वे उपयुक्त समझें सहायता ले सकेंगे.

2. जिला मजिस्ट्रेट को मुक्त कराये गये श्रमिकों को मुक्ति प्रमाण-पत्र जारी करने का अधिकार होगा जिससे कि मुक्त बंधक श्रमिकों को राज्य एवं केन्द्र सरकार की गरीबों एवं सुविधाहीन जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं के अंतर्गत उपयुक्त रूप से पुनर्वासित किया जा सके.

3. जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकेगा जिससे कि शासन द्वारा पुनर्वास के लिए चलाई जा रही योजनाओं में राशि के विमुक्त नहीं होने के कारण या संबंधित शासन को उपयोगिता का प्रमाण-पत्र समय पर नहीं भेजे जाने के कारण पुनर्वास योजना प्रभावित न हो.

4. जिला मजिस्ट्रेट बंधक श्रमिकों के पहचान के कार्य में लगे क्षेत्रीय कर्मचारियों, प्रवर्तन मशीनरी, सतर्कता समिति के सदस्यों एवं ऐसे शासकीय संस्था जो बंधक श्रमिकों के लिए समर्पित हो एवं अन्य संबंधित विभागों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करें.

5. जिला मजिस्ट्रेट उनकी जानकारी में आये प्रत्येक संदेहात्मक बंधक श्रमिक के लिए प्रकरण की संसूचना लेंगे तथा उन्हें

प्राप्त प्रत्येक शिकायत की सत्यता की जांच करायेंगे ताकि अपराध करने वाला व्यक्ति अभिलेख में आ सके और पुनर्वास कार्यवाही की जा सके.

6. जिला मजिस्ट्रेट को मुक्त हुए बंधक श्रमिक से उसके पूर्व मालिक द्वारा ऋण के एवज में प्राप्त की गई राशि को भू-राजस्व के बकाया के समान राशि मानकर वसूली के अधिकार होंगे तथा इस राशि को मुक्त हुए बंधक श्रमिक को भुगतान किया जा सकेगा.

रायपुर, दिनांक 14 मार्च 2002

क्रमांक 674/श्रम/2002.—बंधक श्रम प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 (अधि. क्रमांक 1976 का 19) की धारा 21 की उपधारा (1) सहपठित एक म. प्र. पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्रमांक 2000 का 96-सी) की धारा 86 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी उप खण्डीय दण्डाधिकारियों को इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये अपराधों का विचारण के लिए प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. मूर्ति, सचिव.

मछली पालन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मार्च 2002

क्रमांक 35-18/म. पा./2001-2002/411.—मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के भाग (10) की धारा 79 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात् :—

आदेश

1. (एक) इस आदेश का संक्षिप्त नाम विधियों का अनुकूलीकरण आदेश, 2000 है.

 (दो) यह संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर नवम्बर, 2000 के प्रथम दिन से प्रवृत्त होगा.

2. इस आदेश की सूची में विनिर्दिष्ट समय-समय पर यथा संशोधित ऐसी विधियां जो छत्तीसगढ़ की संरचना के अव्यवहित पूर्व मध्यप्रदेश राज्य में प्रवृत्त थे, एतद्द्वारा, तब तक विस्तारित तथा प्रवृत्त रहेंगे. जब तक कि वे निरसित या संशोधित न कर दी जाए. उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए समस्त विधियों में "मध्यप्रदेश" के स्थान पर जहां कहीं भी वे आए हों शब्द "छत्तीसगढ़" स्थापित किया जाए.

3. अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों के द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कोई भी बात या की गई कार्यवाही (किसी नियुक्ति, अधिसूचना, सूचना, आदेश, नियम, प्रारूप, विनियम, प्रमाण-पत्र या अनुज्ञप्ति को सम्मिलित करते हुए) छत्तीसगढ़ राज्य में लगातार प्रवृत्त रहेगी.

अनुसूची

क्रमांक (1)	अधिनियम का नाम (2)
1.	मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1987.
2.	मध्यप्रदेश तृतीय श्रेणी कार्यपालिक/लिपिक सेवा भरती नियम, 1971.
3.	मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग सेवा (चतुर्थ श्रेणी) भरती नियम, 1970.
4.	मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग विभाग कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भरती तथा सेवा शर्तें नियम, 1983.
5.	मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम, 1972.
6.	मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग सेवा (चतुर्थ श्रेणी) भरती नियम 1986 (म. प्र. शासन मछली पालन विभाग दिनांक 4-3-87).

Raipur, the 26th March 2002

No. 35/218/fish/2001-2002/411.—In exercise of the powers conferred by Section 79 of the Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000) the State Government hereby makes the following orders, namely :—

ORDER

1. (i) This order may be called the adaptation of law order, 2000.

 (ii) It shall come into force in the whole state of Chhattisgarh on the 1st day of November.2000.

2. The law as amended from time to time specified in the schedule to this order which were in force in the State of Madhya Pradesh immediately before the formation of the State of Chhattisgarh, until repealed or amended subject to the modification that in all the law for the word "Madhya Pradesh" wherever they occur the word "Chhattisgarh" shall be substituted.

3. Any thing done or any action taken (including any appointment, notification, notice, order, rules, form regulation, certificate or license) in exercise of the powers conferred by or under the law's specified in the schedule shall continue to be in the State of Chhattisgarh.

SCHEDULE

S. No. (1)	Name of the Act (2)
1.	M. P. Fisheries (Gazetted) Services Recruitment Rule, 1987.
2.	M. P. Fisheries class-III Executive/clerical services recruitment Rules, 1971.
3.	M. P. Fisheries class-IV services recruitment Rule, 1970.
4.	M. P. fisheries Deptt. Work Charged and Contingency Paid employees service conditions and recruitment Rules, 1983.
5.	M. P. fisheries riverine Act, 1972.
6.	M. P. Fishries service (Class-IV) recruitment Rule, 1986.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. एस. रे, प्रमुख सचिव.

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2002

क्रमांक 251/36/मत्स्य/2001-2002.—राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के संचालनालय मछली पालन के लिये निम्नांकित पदों का सेट-अप (Set-up)स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्रमांक (1)	पद का नाम (2)	संख्या (3)	वेतनमान (4)
1.	संचालक	01	14300-400-18300/-
2.	संयुक्त संचालक	01	12000-375-16500/-
3.	उप-संचालक	02	10000-325-15200/-
4.	सहायक संचालक	02	8000-275-13500/-
5.	सांख्यिकी (सहायक संचालक).	01	6500-200-10500/-
6.	लेखाधिकारी	01	8000-275-13500/-
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	01	5500-175-9000/-
8.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	01	5500-175-9000/-
9.	अधीक्षक	01	5500-175-9000/-
10.	सहायक अधीक्षक	01	4500-125-7000/-
11.	डाटा एन्ट्री आपरेटर	01	3050-75-3950-80-4590/-
12.	सहायक मत्स्य अधिकारी.	03	4500-125-7000/-
13.	सहायक ग्रेड-एक (I)	03	4500-125-7000/-
14.	शीघ्र लेखक	01	4500-125-7000/-
15.	सहायक ग्रेड-दो (II)	06	4000-100-6000/-
16.	सांख्यिकी लिपिक	02	3500-80-4700-100-5200/-
17.	मत्स्य निरीक्षक	03	3500-80-4700-100-5200/-
18.	सहायक ग्रेड-तीन (III)	09	3050-75-3950-80-4590/-
19.	स्टेनो टाइपिस्ट	02	3050-75-3950-80-4590/-
20.	मत्स्य जमादार	01	2610-60-3150-65-3200/-.
21.	भृत्य	06	2550-55-2660-60-3200/-
22.	वाहन चालक	01	3050-75-3950-80-4590/-
23.	मछुआ/चौकीदार	02	2550-55-2660-60-3200/-
		52	

2. उपरोक्त पदों पर होने वाला व्यय मांग संख्या-16-मछलीपालन मुख्य शीर्ष-2405-मीन उद्योग-001-निर्देशन प्रशासन, 2280-निर्देशन प्रशासन आयोजनेत्तर के अंतर्गत विकलनीय होगा.

3. यह स्वीकृति वित्त विभाग के पृष्ठांकन क्रमांक 35/SR 26/चार B 5/2002 दिनांक 7-2-2002-द्वारा महालेखाकार, म. प्र. ग्वालियर, को पृष्ठांकित की गयी है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास बेहार, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 8 अप्रैल 2002

क्रमांक 3146/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	पटपर प.ह.नं. 31	53.99	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	भरूहाटोला जलाशय निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 8 अप्रैल 2002

क्रमांक 3147/भू-अर्जन/2001.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोंगरगढ़	उरईडबरी प.ह.नं. 31	19.40	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	भरूहाटोला जलाशय निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 3374/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	ढाबा प.ह.नं. 1	3.31	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	अमलीडीह जलाशय के बांध पार/डूबान/नहर नाली.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 3375/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	अमलीडीह प.ह.नं. 1	24.83	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	अमलीडीह जलाशय के बांध पार/डूबान/नहर नाली.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 3376/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	भरकाटोला प.ह.नं. 1	34.20	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	अमलीडीह जलाशय के बांध पार/डूबान/नहर नाली.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 3377/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	राजनांदगांव	कौहाकुड़ा	14.88	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	अमलीडीह जलाशय के बांध पार/डूबान/नहर नाली.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में देखा जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 15 अप्रैल 2002

क्रमांक 3398/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजनांदगांव	डोगरगढ़	कारूटोला प.ह.नं. 80/19	45.49	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव.	कारूटोला जलाशय एवं नहर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी का कार्यालय डोंगरगढ़ में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 19 फरवरी 2002

क्रमांक 4 अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कवर्धा	कवर्धा	खैरबना कला प.ह.नं. 32	0.26	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, कवर्धा.	सरोदा जलाशय के महराजपुर माइनर.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. केहरि, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 28 मार्च 2002

क्रमांक 538/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	बिशुनपुर	9.619	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, अंबिकापुर.	रामचन्द्रपुर जलाशय के डूब क्षेत्र में.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 मार्च 2002

क्रमांक 542/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	चेरवाडीह	11.936	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र.-2, अंबिकापुर.	रामचन्द्रपुर जलाशय के डूब क्षेत्र हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सरगुजा, दिनांक 28 मार्च 2002

क्रमांक 544/भू-अर्जन/2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	पाल	चन्दनपुर	0.324	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क) क्र.-2, अंबिकापुर.	रामानुजगंज-अंबिकापुर मार्ग के सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक कुमार देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 फरवरी 2002

प्र. क्र. 4 /अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तिगों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	मोहतरा	2.83	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2002

प्र. क्र. 5 /अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	झगरहट्टा	6.17	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2002

प्र. क्र. 6/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	फंदवानी	11.38	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2002

प्र. क्र. 7/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	फंदवानीकापा	6.40	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 20 फरवरी 2002

प्र. क्र. 8/अ-82/2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	मुंगेली	सुरेठा	2.13	कार्यपालन यंत्री, मनियारी संभाग, मुंगेली.	आगर डायवर्सन योजना

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 18 फरवरी 2002

क्रमांक 2 अ-82/2000-2001.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1884 (क्रमांक सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-सिलदहा, प.ह.नं. 37
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.202 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1104	0.405
1106	0.320
1110	0.405
1113	0.162
1114	0.405
1121/1	0.162
1121/2	0.073
1065	0.204
1066	0.268
1479	0.405
1135	0.533
1384	0.332
1386	0.445
1387	0.206
1388	
1389	
1396/1	0.543
1396/2	0.162
1398	0.186
1397	0.149
1483	0.259
1482	0.129
1481	0.210
1480	0.405
1484/2	0.526
1124	0.308
योग 26	7.202

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—भेरवा जलाशय के डूब हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. मंडल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

आवास एवं पर्यावरण विभाग
नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, दुर्ग (छ. ग.)

दुर्ग, दिनांक 26 मार्च 2002

क्रमांक 40/5/वि.यो./बालोद/2002/दुर्ग.— एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बालोद निवेश क्षेत्र के लिए वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं या और उनकी एक-एक प्रति प्रदर्शनी स्थल नया बस स्टैण्ड बालोद, नगर पंचायत बालोद, तहसील कार्यालय बालोद एवं उप-संचालक नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय दुर्ग में दिनांक 30-3-2002 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध है. निवेश क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है—

अनुसूची

बालोद निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	-	ग्राम खैरतराई तथा बघमरा की उत्तरी सीमा तक
पूर्व में	-	ग्राम हीरापुर तथा सिवनी की पूर्व सीमा तक
दक्षिण में	-	ग्राम सिवनी तथा पाररास की दक्षिणी सीमा तक
पश्चिम में	-	ग्राम खैरतराई, पाररास तथा सिवनी का पश्चिमी सीमा तक

यदि इस प्रकार तैयार किये गये अनुसूची के वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसा आपत्ति या सुझाव पर जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा विचार किया जायेगा.

हस्ता/-
(जाहिद अली)
उप-संचालक
नगर तथा ग्राम निवेश, दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकारण, रायपुर (छ. ग.)

रायपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2002

क्रमांक 61/राक्षेविप्रा/भू.उ./2002.—राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण रायपुर द्वारा यह सूचना दी जाती है कि राजधानी क्षेत्र के लिये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किये गये हैं और उनकी एक-एक प्रति कार्यालय कलेक्टर, रायपुर एवं संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, आर. डी. ए. बिल्डिंग, बजरंग काम्पलेक्स शास्त्री चौक रायपुर (छत्तीसगढ़) में दिनांक 11-4-2002 से कार्यालयीन अवधि के दौरान कार्यकारी दिवसों में निरीक्षण के लिये उपलब्ध है, राजधानी क्षेत्र की सीमा निम्नलिखित अनुसूची में अंकित है :—

अनुसूची

राजधानी क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में - तहसील रायपुर के ग्राम कचना (प.ह.नं. 110), पिरदा (प.ह.नं. 111), तुलसी (प.ह.नं. 111), तहसील आरंग के ग्राम कुरद (प.ह.नं. 74), दरबा (प. ह. नं. 75), बकतरा (प. ह. नं. 75), खुटेरी (प. ह. नं. 75), जरौद (प. ह. नं. 67) एवं रीवा (प. ह.नं. 67) की उत्तरी सीमा तक.

पश्चिम में - तहसील रायपुर के ग्राम कचना (प. ह. नं. 110), पिरदा (प. ह. नं. 111), सेरीखेड़ी (प. ह. नं. 112), धरमपुरा (प. ह. नं. 115), टेमरी (प. ह. नं. 115), बोरियाकला (प. ह. नं. 117), धनेली (प. ह. नं. 117), भटगांव (प. ह. नं. 116), तहसील अभनपुर के ग्राम निमोरा (प. ह. नं. 136), बेन्द्री (प. ह. नं. 135), सिंगारभाठा (प. ह. नं. 138) एवं बकतरा (प. ह. नं. 134) की पश्चिमी सीमा तक.

दक्षिण में - तहसील अभनपुर के ग्राम बकतरा (प. ह. नं. 134), झांकी (प. ह. नं. 139), मुड़पार उर्फ भेलवाडीह (प. ह. नं. 139), पचेड़ा (प. ह. नं. 140), कुर्रु (प. ह. नं. 141), चेरिया (प. ह. नं. 141) एवं नवागांव (प. ह. न. 142)की दक्षिणी सीमा तक.

पूर्व में - तहसील आंरग के ग्राम रीवा (प. ह. नं. 67), गुजरा (प. ह. नं. 68), धमनी (प. ह. नं. 69), गनौद (प. ह. नं. 143), तहसील अभनपुर के ग्राम खरखराडीह (प. ह. नं. 142) एवं नवागांव (प. ह. नं. 142) एवं नवागांव (प. ह. नं. 142) की पूर्वी सीमा तक.

यदि इस प्रकार तैयार की गई अनुसूची में वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र एवं रजिस्टर एवं के संबंध में कोई आपत्ति/सुझाव हों तो उक्त विनिर्दिष्ट स्थलों पर तथा इस सूचना के "छत्तीसगढ़ राजपत्र" में प्रकाशन की तारीख से 30 दिन की समयावधि के भीतर निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिये.

भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी उक्त मानचित्र के संबंध में किसी ऐसी आपत्ति/सुझाव जो किसी व्यक्ति के द्वारा विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त हों, राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा विचार किया जावेगा.

सही/
(संजय शुक्ला)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण
रायपुर (छत्तीसगढ़).

निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 6 फरवरी 2002

क्रमांक 1/99/चार/याचिका/99/169.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82/म. प्र.-वि. स./(1/99)/99 दिनांक 26 नवम्बर 2001 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

भारत निर्वाचन आयोग

तारीख 26 नवम्बर, 2001—5 अग्रहायण, 1923 (शक)

संख्या 82/म. प्र.-वि. स./(1/99)/99.—निर्वाचन आयोग वर्ष 1999 की निर्वाचन अर्जी संख्या 1 में जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 20 अक्टूबर 2000 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई वर्ष 2001 की सिविल अपील संख्या 3959 में तारीख 30 अक्टूबर, 2001 को दिए गए भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 116 ग की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में इसके द्वारा प्रकाशित करता है.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

Civil Appeal No. 3957 of 2001

Balram Singh — Appellant

Versus

Jagjeet Singh Makkad & Ors. — Respondents

ORDER

We have heard learned counsel for the appellant. There is no merit in the appeal. It is dismissed with costs in

favour of first respondent.

Sd/-
(S. P. BHARUCHA)

Sd/-
(Y. K. SABHARWAL)

Sd/-
(BRIJESH KUMAR)

New Delhi,
October 30, 2001.

आदेश से,
हस्ता/-
(एल. एच. फारुकी)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग

ELECTION COMISSION OF INDIA

Dated 26th November, 2001—5 Agrahayana, 1923 (SAKA)

No. 82/MP-LA/(1/99)/99.—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 116 C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the order of the Supreme Court of India dated the 30th October, 2001 in Civil Appeal No. 3957 of 2001 filed against the judgment and order dated 20 October, 2000 of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in Election Petition No. 1 of 1999.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

Civil Appeal No. 3957 of 2001

Balram Singh Appellant

Versus

Jagjeet Singh Makkad & Ors. Respondents

ORDER

We have heard learned counsel for the appellant. There is no merit in the appeal. It is dismissed with costs in

favour of first respondent.

Sd/-
(S. P. BHARUCHA)

Sd/-
(Y. K. SABHARWAL)

Sd/-
(BRIJESH KUMAR)

New Delhi,
October 30, 2001.

By order,
Sd/-
(L. H. FARUQI)
Secretary.
Election Commission of India.

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़

रायपुर, दिनांक 2 अप्रैल 2002

क्रमांक 17/4/2001.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 82/म. प्र.-वि. स./13/94/96 दिनांक 13 मार्च, 2002 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है.

अजय सिंह
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग

तारीख 13 मार्च, 2002—22 फाल्गुन, 1923 (शक)

संख्या 82/म. प्र.-वि. स./(13/94)/96.—निर्वाचन आयोग वर्ष 1994 की निर्वाचन अर्जी संख्या 13 में जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के तारीख 26 सितम्बर 1995 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध दाखिल की गई वर्ष 1995 सिविल अपील संख्या 9514 में तारीख 24 जनवरी, 2002 को दिए गए भारत के उच्चतम न्यायालय के आदेश को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 116 ग की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अनुसरण में इसके द्वारा प्रकाशित करता है.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

Civil Appeal No. 9514 of 1995

Akbar Mohammad @ Akbar Bhai Appellant(s)

Versus

Siyaram Sahu & Ors. Respondent(s)

ORDER

This matter was the first matter on board. When the matter was called, a request was made to pass over the same. This being the first matter, we see no justification to accede to the request made for pass over.

In our opinion, the appeal has become infructuous as the election period in question has already expired and a fresh election has taken place. Be that as it may, since nobody is present for the appellant except a proxy counsel making a prayer for pass over, this appeal is dismissed.

Sd/-
(G. B. PATTANAIK)

Sd/-
(BISHESHWAR PRASAD SINGH)

New Delhi,
January 24, 2002.

आदेश से,
हस्ता/-
(एस. के. कौरा)
सचिव,
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMISSION OF INDIA

Dated 13th March, 2002—22 Phalguna, 1923 (SAKA)

No. 82/MP-LA/(13/94)96.—In pursuance of clause (b) of sub-section (2) of Section 116 C of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby publishes the order of the Supreme Court of India dated 24th January, 2002 in Civil Appeal No. 9514 of 1995 filled against the judgment and orderdated 26th September. 1995 of the High Court of Madhya Pradesh at Jabalpur in election petition No. 13 of 1994.

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL APPELLATE JURISDICTION

Civil Appeal No. 9514 of 1995

Akbar Mohammad @ Akbar Bhai — Appellant(s)

Versus

Siyaram Sahu & Ors. — Respondent(s)

ORDER

This matter was the first matter on board. When the matter was called, a request was made to pass over the same. This being the first matter, we see no justification to accede to the request made for pass over.

In our opinion, the appeal has become infructuous as the election period in question has already expired and a fresh election has taken place. Be that as it may, since nobody is present for the appellant except a proxy counsel making a prayer for pass over, this appeal is dismissed.

Sd/-
(G. B. PATTANAIK)

Sd/-
(BISHESHWAR PRASAD SINGH)

New Delhi,
January 24, 2002.

By order,
Sd/-
(S. K. KAURA)
Secretary,
Election Commission of India.